इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक
क्षेत्रीय कार्यालयः बाँदा
शाखा 'कालूकुआँ' हेतु परिसर की आवश्यकता

दिनांक 17.10.2014

बैंक को अपनी शाखा कालूकुआँ जनपद बांदा में अवस्थित शाखा भवन का भवन परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। अतः शाखा खोलने हेतु भवन, जिसका लगभग 2000 वर्गफुट हो, की आवश्यकता है। भूतल पर स्थित परिसर को वरीयता दी जायेगी। इस उद्देश्य से टेक्निकल एवं फाइनेन्शियल बिड की दोहरी प्रणाली के अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित है।

इच्छुक व्यक्ति/संस्थायें (दलाल नही) टेक्निकल एवं फाइनेन्शियल बिड के प्रारूप नजदीकी शाखा अथवा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा से सोमवार से शुक्रवार को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक एवं शनिवार को प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक दिनांक 08.11.2014, अपरान्ह 2 बजे तक प्राप्त कर सकते है अथवा बैंक की वेब साइट www.allahabadgraminbank.in से डाउनलोड कर सकते है।

पूर्ण रूप से भरे गये प्रस्ताव, जिनमें समस्त आवश्यक सूचनायें हों, अलग–अलग सील्ड लिफाफों में जिन पर टेक्निकल बिड एवं फाइनेन्शियल बिड अंकित हो, लिफाफे के ऊपर प्रस्तावित शाखा का नाम एवं नीचे बाये कोने में अपना पूरा नाम पता एंव दूरभाष संख्या लिखते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, डा0 भार्गव की कोठी, चिल्ला रोड़, बांदा को प्रेषित किये जायेंगें।

अलग–अलग सील्ड लिफाफों में **(टेक्निकल बिड एवं फाइनेन्शियल बिड)** पूर्ण प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 08.11..2014 को अपरान्ह 02 बजे तक होगी। समस्त प्रस्ताव दिनांक 08.11..2014 तक इस उद्देश्य हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, डा0 भार्गव की कोठी, चिल्ला रोड़, बांदा पर लगे बाक्स में डाल सकते है अथवा डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं जो निर्धारित तिथि तक क्षे0का0 को अवश्य प्राप्त हो जाये। डाक में देरी के लिये बैंक जिम्मेदार नही होगा।

परिसर की टेक्निकल बिड, अन्तिम निर्धारित तिथि के अगले कार्यदिवस अर्थात 10.11.2014 को पूर्वान्ह 12 बजे क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, डा0 भार्गव की कोठी, चिल्ला रोड़, बांदा में खोली जायेंगी, जिसमें बिड प्रस्तुतकर्ता उपस्थित हो सकते हैं तथा फाइनेन्शियल बिड खोले जाने की सूचना चयनित टेक्निकल बिड प्रस्तावकों को तद्नुसार प्रेषित की जायेगी।

बैंक को कोई पूर्व नोटिस दिये बिना अथवा कारण बताये बिना समस्त या किसी प्रस्ताव को निरस्त करने अ़थवा किसी भी स्तर पर कार्यवाही को स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक